

उत्तर प्रदेश सरकार  
 भूमि विकास एवं जल संसाधन अनुभाग—1  
 संख्या—01 / चौवन—1—2010—02(03) / 2009  
 लखनऊ दिनांक 04 फरवरी, 2010

०१-८४

### अधिसूचना

उत्तर प्रदेश क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या—51, सन 1976) की धारा 3 की उपधारा (1) के द्वितीय परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल सरकारी अधिसूचना संख्या—4101 / 12 (क्षे०वि०—1) 440 / 76 दिनांक 18 दिसम्बर, 1976 द्वारा स्थापित रामगंगा समादेश क्षेत्र विकास प्राधिकरण की अधिकारिता का इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से नीचे अनुसूची में उल्लिखित क्षेत्रों तक विस्तार करते हैं।

### अनुसूची

(विस्तारित अधिकारिता का क्षेत्र)

| क्रम संख्या | जिला का नाम | विकास खण्ड का नाम  |
|-------------|-------------|--|
| 1           | 2           | 3  |
| 1           | ललितपुर     | 1—बिरधा<br>2—जखौरा<br>3—तालबेहट  |
| 2           | मुरादाबाद   | 1—ठाकुरद्वारा<br>2—दिलारी<br>3—भरतपुर टांडा<br>4—मुंडापाण्डेय<br>5—मुरादाबाद |
| 3           | रामपुर      | 1—स्वार<br>2—सैदनगर<br>3—चमरौवा<br>4—मिलक<br>5—शाहबाद                        |

आज्ञा से,

(योगेश कुमार)  
 प्रमुख सचिव।

